बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (सारण) 02–32/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.........................

अपर समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में त्रि–सदस्यीय टीम द्वारा दिनांक–11.03.2026 को एकमा अंचल का निरीक्षणोपरांत प्रतिवेदित कतिपय त्रुटियों एवं RCMS पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में **श्री अमलेश कुमार, अंचलाधिकारी, एकमा, सारण** के विरूद्ध मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं विलम्ब से कार्यालय आने, दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन में FIFO का अनुपालन नहीं करने तथा Pick & Choose नीति के आधार पर आवेदनों का निष्पादन करने, परिमार्जन प्लस के तहत अंचलाधिकारी के लॉगिन पर 189 मामलें लंबित रखने, मापी कार्य में अभिरूचि नहीं लेने के फलस्वरूप काफी संख्या में मामला लंबित रहने, राजस्व महा–अभियान के तहत प्राप्त कुल–4085 आवेदनों में से मात्र 6 आवेदनों पर ही कार्रवाई किए जाने, जमाबंदी रद्दीकरण की कतिपय वादों में अपर समाहर्त्ता, सारण, छपरा द्वारा जमाबंदी को रद्द करने हेतु आदेश पारित करने के बावजूद भी जमाबंदी को शून्य नहीं किये जाने एवं अंचल में संघारित पंजियों को अद्यतन नहीं किये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–726(15), दिनांक–03.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने कार्यालय अंचलाधिकारी, एकमा, सारण के पत्रांक–704 दिनांक–19.06.2024 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अमलेश कुमार, अंचलाधिकारी, एकमा, सारण सम्प्रति **अंचल अधिकारी, मेसकौर, नवादा** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत को **"संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–15/आरोप (सारण) 02–32/2026–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................................

ई–मेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नवादा एवं सारण/श्री अमलेश कुमार, अंचल अधिकारी, मेसकौर, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः—15/आरोप (सारण) 02—32/2026—1231(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—13/08/2026

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री अमलेश कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा—15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

10/8/26

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।